



भारतीय चुनावों में NOTA का वकिलप

प्रलिस के लयः

[लोकप्रतनधतव अधनयम, 1951](#), [NOTA](#), नयम 49-0, [भारत का नरवचन आयोग](#), सामान्य वततीय नयम, [भारत का सर्वोच्च न्यायालय](#), [राष्ट्रीय और राज्य सतरीय दल](#)

मेन्स के लयः

'नरवरीध नरवचत होने' के परणाम, लोकप्रतनधतव अधनयम, 1951, NOTA की परभावशीलता

[स्रोत:इंडयन एक्सप्रेस](#)

चरचा में कयों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में [लोकसभा](#) चुनाव में एक उल्लेखनीय परणाम देखने को मला, जसमें [NOTA \(उपरयुक्त में से कोई नहीं\)](#) वकिलप को 2 लाख से अधिक मत प्राप्त हुए, जो कसी भी नरवचन क्षेत्र में NOTA के लयः अब तक का सबसे अधिक मत परतशत है।

भारतीय चुनावों में NOTA क्या है?

परचयः

- यह मतपत्रों और [इलेक्ट्रॉनिक वोटग मशीनों \(EVMs\)](#) पर मतदान का एक वकिलप है जो मतदाताओं को कसी भी उम्मीदवार को चुने बना सभी उम्मीदवारों के परत अपनी असहमत दर्शाने की अनुमत देता है।
- NOTA मतदाताओं को मतदान के परत अपने नकारात्मक वचार और दावेदारों के परत समर्थन की कमी को व्यक्त करने का अधिकार देता है।
- यह उन्हें अपने नरणय की गोपनीयता बनाए रखते हुए [अस्वीकार करने का अधिकार](#) देता है।

पृष्ठभूमिः

- वर्ष 1999 में अपनी 170वीं रपौरट में [वधि आयोग](#) ने 50%+1 मतदान परणाली के साथ-साथ नकारात्मक मतदान की अवधारणा की सफारश की, लेकिन व्यावहारिक चुनौतयों के कारण इस मामले पर कोई अंतिम सफारश नहीं दी गई।
- सतंबर 2013 में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [भारत के नरवचन आयोग \(ECI\)](#) को मतदाताओं की पसंद की गोपनीयता की सुरक्षा के उपाय के रूप में [NOTA](#) वकिलप पेश करने का नरदेश दया।
 - [पीपुल्स यूनयन फॉर सवल लबिर्टीज़ \(PUCL\)](#) ने वर्ष 2004 में मतदाताओं के 'गोपनीयता के अधिकार' की रक्षा के उपायों की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी।
 - उन्होंने तर्क दया कि [नरवचनों का संचालन नयम, 1961](#) ने गोपनीयता पहलू का उल्लंघन कया कयोंकि [पीठासीन अधिकारी \(ECI से\)](#) उन मतदाताओं, जन्होंने वोट नहीं देने का वकिलप चुनाव, के हस्ताक्षर या अंगूठे के नशान के साथ रकौरड रखता था।

NOTA का परथम परयोगः

- NOTA का पहली बार परयोग वर्ष 2013 में पाँच राज्यों छत्तीसगढ़, मज़ोरम, राजस्थान, दलली और मध्य प्रदेश के वधानसभा चुनावों में तथा बाद में वर्ष 2014 के आम चुनावों में कया गया था।
- इसे वर्ष 2013 में [PUCL](#) [?](#)[?](#)[?](#)[?](#) [?](#)[?](#)[?](#)[?](#) [?](#)[?](#)[?](#)[?](#) में [सर्वोच्च न्यायालय](#) के नरदेश के बाद चुनावी परकरया में शामिल कया गया था।

यदःNOTA को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हो तो क्या होगा?

- [भारत का नरवचन आयोग](#) ने स्पष्ट कया कि [NOTA](#) के रूप में डाले गए वोटों की गनती की जाती है, लेकिन उन्हें 'अमान्य वोट' माना जाता है।

चाहिये।

- उदाहरण के लिये वर्ष 2018 में महाराष्ट्र **राज्य चुनाव आयोग (SEC)** ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कथिदिNOTA को सबसे अधिक वैध मत प्राप्त होते हैं, तो चुनाव दोबारा होगा।
- **उम्मीदवारों पर प्रतिबंध:** NOTA से कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पुनर्निर्वाचन में भाग लेने से रोक दिया जाएगा।
 - इसी प्रकार हरियाणा के SEC ने नगरपालिका चुनावों में **NOTA** को एक 'काल्पनिक उम्मीदवार' माना।
 - **NOTA** से कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पुनर्निर्वाचन में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- **उम्मीदवारों पर लागत:** NOTA से हारने वाले राजनीतिक दलों को पुनर्निर्वाचन का खर्च वहन करना चाहिये। पुनर्निर्वाचन के दौरान बार-बार चुनाव होने से रोकने के लिये **NOTA** बटन को नष्क्रिय किया जा सकता है।
- **जागरुकता:** **NOTA** असहमति की आवाज़ प्रदान करता है, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिये मतदाता जागरुकता बढ़ाने के प्रयास महत्त्वपूर्ण हैं।





भारत निर्वाचन आयोग



Drishti IAS



परिचय

- स्वायत्त संवैधानिक निकाय
- लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन
- स्थापना- 25 जनवरी, 1950 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)

संवैधानिक प्रावधान


भाग XV-अनुच्छेद 324 से 329

संरचना

- 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)
- **कार्यकाल** - 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- **सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त**- सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र
- **मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना**- सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव

प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण
- मतदाता सूची तैयार करना और उसका पुनरीक्षण करना
- चुनाव कार्यक्रम और तारीखों को अधिसूचित करना
- राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना
- राजनीतिक दलों के लिये "आदर्श आचार संहिता" जारी करना



नषिकरषः

भारतीय चुनारुवुं में **NOTA वकिलुडु नु मतदरतु की डुसंड**, ररकुनीतकु दलुं की कुवरुदुदुही और चुनरुवी डुरकुडुररु की ईडुनरुदरुी के डरुे में डुहतुतुवडुरण सवल उतरुए हैं। डुह मतदरतुआं कु मतदरन करुने और चुनरुवु कडु डुरी तरुह से डुहडुषिकरु कडु डुनरु कसुी डुी उडुडुीदवरु से अडुनी सुवीकुतु वरुडुस लेने कडु एक तरुीकडु डुरदरन करुतडु है। इसकडु उदुदुशुडु वरुशुधु में डुडुले डुए वुतरुं कु औडुडुडुरुकु रूडु से डुनरुने डुडुगुडु डुनरुनरु है। डुह ररकुनीतकु दलुं के उडुडुीदवरुं के कुषुेतरु के डुरतु लुकुडुरडु असंतुषु की डुडुगुरी कु दुरशुतरु है।

दृषुतु डुनेस डुरशुनः

भारतीय चुनरुवुं में NOTA (इनुडुं से कुई नुही) वकिलुडु की डुरडुवरुशुीलतरु और चुनरुीतरुीं डुर डुरकुडु कीकुडु। चुनरुवी डुरकुडुररु डुर इसके डुरडुवरु कडु वशुलुषण कीकुडु और इस संसुथरुगत तंतुर कु डुडुडुडु करुने के उडुडु सुडुडुडु।

UPSC सवलरु सेवरु डुरीकुषु, वगुत वरुष के डुरशुन

??????????:

डुरशुन. नडुनलखुतरु कथनुं डुर वडुडुरु कीकुडु: (2017)

1. डुडुरुत कडु नरुवरुडुन आडुडुग डुडुडुडु-सदसुडुीडु नकुडुडु है।
2. संघ कडु डुह डुंतुररुलडु, आडु चुनरुवु और उडु-डुनरुवुं दुनुं के लडुडु चुनरुवु कडुरुडुडुडु तडु करुतडु है।
3. नरुवरुडुन आडुडुग डुनडुडुतरु-डुररुडुडु ररकुनीतकु दलुं के वडुडुडुन/वलरुडु से संडुंधतु ववरुद नडुडुतरु है।

उडुरुडुकुत कथनुं में से कुन-सडु/से सही है/है ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उतुतरु: (d)

??????????:

डुरशुन. डुडुरुत में लुकुतंतुर की डुगुतरु कु डुदुनने के लडुडु डुडुरुत के चुनरुवु आडुडुग ने 2016 में चुनरुवी सुधरुं कडु डुरसुतुव दडुडु है। सुडुडुए डुए सुधरु कडु है और लुकुतंतुर कु सडुडुल डुनरुने में वे कसुी सीडुडु तक डुहतुतुवडुरण है? (2017)

डुरशुन. आदुरशु आडुडुरु संहतरु के वकुरस के आलुकु में डुडुरुत के चुनरुवु आडुडुग की डुडुडुडु डुर डुरकुडु कीकुडु। (2022)